एन.सी.सी.पी

प्रश्न 1 : एन.सी.सी.पी इंडिया क्या है?

उत्तर : एनसीसीपी इंडिया नैशनल कोडेक्स कंटेक्ट प्वाइंट ऑफ इंडिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनसीसीपी का गठन कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन के साथ संपर्क रखने और भारत में कोडेक्स गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने के लिए किया था। एनसीसीपी फॉर इंडिया भारत में कोडेक्स गतिविधियों का समन्वयन और संवर्धन नैशनल कोडेक्स कमेटी के सहयोग से करती है और कोडेक्स में भारत के सहयोग को सुस्थापित परामर्श प्रक्रिया से आसान बनाती है।

प्रश्न 2 : एनसीसीपी इंडिया कहाँ स्थित है?

उत्तर : एनसीसीपी इंडिया भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली, भारत में स्थापित है।

प्रश्न 3: एनसीसीपी इंडिया के उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर : एनसीसीपी इंडिया के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- कोडेक्स मामलों में राष्ट्रीय पक्ष तैयार करने संबंधी दिशा–निर्देश निर्धारित करना और कोडेक्स की बैठकों में भाग लेना,
- राष्ट्रीय पक्ष निर्धारण की पक्रिया स्थापित करना,
- हितधारकों को कोडेक्स की कार्य–प्रणाली समझाना, जिससे वे कोडेक्स के कार्य में अपना सहयोग राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक रूप से देने में क्षम बन सकें और दक्ष हो सकें,
- समिति की बैठकों में मानकों अथवा रीति संहिताओं अथवा दिशा–निर्देशों के संबंध में नए कार्य–प्रस्ताव देना,
- राष्ट्रीय कोडेक्स कमेटी के सहयोग से भारत में कोडेक्स गतिविधियों का समन्वयन और संवर्धन करना।

प्रश्न 4 : राष्ट्रीय कोडेक्स समिति क्या है और इसके कार्य क्या हैं?

उत्तर : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अपने अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कोडेक्स समिति का गठन कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन से संपर्क बनाए रखने के लिए किया है।

प्रश्न 5 :

उत्तर : एनसीसी–इंडिया के मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं :

- खाद्य मानकीकरण, खाद्य गुणता और सुरक्षा संबंधी नए उठे विभिन्न मुद्दों के प्रभावों और सीएसी द्वारा आरंभ किए गए कार्य के बारे में सरकार को सलाह देना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण के समय राष्ट्रीय आर्थिक हितों पर ध्यान जाए अथवा उन पर विचार किया जाए;
- उपभोक्ताओं के लिए खाद्य गुणता और सुरक्षा बनाए रखने में सरकार को सुझाव देना और साथ ही उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के अवसर बढ़ाना;
- तकनीकी मामलों के अध्ययन अथवा विचार में सहायता करने के लिए संगत कोडेक्स समितियों संबंधी मामलों पर शैडो समितियाँ बनाना; और
- राष्ट्रीय मत–निर्धारण के लिए आवश्यकतानुसार बैठक करना।

प्रश्न 5 : शैडो समिति क्या होती है?

उत्तर : तकनीकी मामलों के अध्ययन अथवा उन पर विचार करने में एनसीसी की सहायता के लिए कोडेक्स समितियों के संगत विषयों पर काम करने के लिए एक समानांतर शैडो समिति गठित की गई है। संबंधित विभागों/मंत्रालयों/खाद्य प्राधिकरण के नीतिगत मामले देखने वाले और एनसीसी के सदस्य के रूप में काम करने वाले संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इन शैडों समितियों के अध्यक्ष नामित किए जा सकते हैं। संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ इन समितियों के सदस्य नामित किए जाते हैं।

प्रश्न 6 : शैडो समिति का गठन क्या है?

उत्तर : हर शैडो समिति का गठन संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता पर आधारित होता है और भिन्न होता है। प्रत्येक शैडो समिति में विभिनन हितधारक शामिल होते हैं, यथा :

- विभिन्न मंत्रालयों यथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और पशु पालन और डेयरी व मत्स्य पालन विभाग, खाद्य सुरक्षा, खाद्य उत्पादन और खाद्य कारोबार से संबंधी हितधारक;
- वैज्ञानिक संगठनों, जैसे सार्वजनिक विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान;
- औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि;
- संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ/वैज्ञानिक।

प्रश्न 7 : शैडो समिति के क्या कार्य हैं?

उत्तर : शैडो समिति के कार्य निम्नानुसार हैं :

- खाद्य मानकीकरण, खाद्य गुणता और सुरक्षा के नए उठे विभिन्न मुद्दों के प्रभावों और संबंधित सहायक बॉडी/कार्य दल द्वारा किए गए कार्यों के प्रभावों के संबंध में एनसीसीपी/एनसीसी को परामर्श देना, जिससे संबंधित समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारिण के समय राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर ध्यान जाए अथवा उन पर विचार किया जाए; और
- संबंधित सब्सिडियरी बॉडी के कोडेक्स एजेंडा का अनुकरण करना और सरकार को सुझाव देना, जिससे उपभोक्ताओं के लिए खाद्य की गुणता और सुरक्षा बनाए रखने में मदद दी जा सके और साथ ही राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के अवसरों को बढ़ाना;
- भारतीय प्रतिनिधिमंडल के गठन के बारे में सुझाव देना;
- सुझाव आमंत्रित करने और संबंधित कोडेक्स समितियों के विचाराधीन विभिन्न एजेंडा मदों पर भारत का पक्ष निर्धारित करने के लिए अन्य शैडों समितियों तथा संबंधित विभागों से समन्वय करना;

प्रश्न : विभिन्न शैडो समितियाँ कौन–कौन सी हैं?

उत्तर : वर्तमान में 16 शैडो समितियाँ हैं :

1. एफ.एस.एस.ए.आई के प्रभाराधीन शैडो समितियाँः

- कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन
- क्षेत्रीय समन्वय समिति (सीसीएशिया सहित)
- सामान्य सिद्धांत
- खाद्य लेबलिंग
- विश्लेषण और प्रतिचयन पद्धतियाँ
- खाद्य स्वच्छता
- खाद्य सहयोज्य पदार्थ
- खाद्य संदूषक
- वसा और तेल
- प्रसंस्कृत फल और सब्जियाँ
- शर्कराएँ।

2. मंत्रालयों के प्रभाराधीन समितियाँ :

- खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली – वाणिज्य मंत्रालय
- पेस्टीसाइड अवशिष्ट – कृषि मंत्रालय (पादप संरक्षण विभाग)
- खाद्य पदार्थों में पशु औषध अवशिष्ट – कृषि मंत्रालय (एलएच)
- ताजा फल और सब्जियाँ – कृषि मंत्रालय

- विशेष आहारिक उपयोग के लिए पोषण और खद्य – महिला और बाल विकास मंत्रालय

प्रश्न 9 : राष्ट्रीय मत का निर्धारण कैसे किया जाता है?

उततर : राष्ट्रीय मत–निर्धारण के लिए पाँच सामान्य आधारभूत चरण अपनाए जा सकते हैं :

- कार्यकारी प्रलेख परिचालित करना
- हितधारकों से सुझाव मांगना
- मत का मसौदा बनाना
- मत पर राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करना
- जहाँ आवश्यक हो, मत को लिखित टिप्पणियों के रूप प्रस्तुत करना।

प्रश्न 10 : शैडो समिति की बैठकें कब की जाती हैं?

उत्तर : शैडो समितियों की बैठकें कोडेक्स समिति के एजेंडा आइटम की उपलब्धता के आधार पर संबंधित मुख्य कोडेक्स बैठकों से प्रायः तीन महीने पहले की जाती हैं।

प्रश्न 11 : हितधारत शैडो समितियों की बैठकों में किस प्रकार योगदान करते हैं?

उत्तर : किसी बैठक विशेष की एजेंडा मद के अध्ययन के बाद हितधारक राष्ट्रीय मत–निर्धारण के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव विषय–विशिष्ट हों और वैज्ञानिक औचित्य पर आधारित हों।

प्रश्न 12 : अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोडेक्स बैठकों में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों की योग्यताएँ क्या हों?

उत्तर : प्रतिनिधियों में निम्नलिखित योग्यताएँ हों :

- संबंधित विषय में विशेषज्ञता;

- शैडो समितियों की सिफारिशों के आधार पर एनसीसीपी द्वारा तैयार किए गए लिखित ब्रीफ के आधार पर राष्ट्रीय मत को आगे ले जाने में योग्यता। देश की तरफ से अन्य देशों के प्रतिनिधियों के विचार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से लेने में भी क्षम हों।
- उनमें उन अघोषित/अप्रत्याशित मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता हो जो कोडेक्स की बैठकों के दौरान उठ सकते हैं, जिससे भारत सरकार के हित का संरक्षण हो।
- कोडेक्स समिति की बैठक के लिए किसी सरकारी प्रतिनिधि के न भेजे जा सकने की असाधरण परिस्थिति में गैर–सरकारी अधिकारी सत्रों/बैठकों में भाग ले सकते हैं और आयोजक देश में भारत के राजदूत/उच्चायुक्तों को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सत्र/बैठक में किसी अधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया जा सकता है।

प्रश्न 13 : भारतीय प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट कब और कैसे प्रस्तुत की जाए?

उत्तर : कोडेक्स की बैठकों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट बैठक के 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत करनी होती है। रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों संबंधी विवरण हो और इनमें प्लेनरी, भौतिक कार्यकारी दलों और अन्य क्षेत्रों अथवा देशों के साथ हुई साइड बैठकों के विवरण देने होते हैं। इसमें इस बात का भी जिक्र हो कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कब दखल दी और संबंधित कोडेक्स समिति के निर्णय क्या रहे, विशेषकर तब जब उन दखलों पर सहमति न बनी हो। अगली बैठक में समिति के विचाराधीन मुद्दे भी रिपोर्ट में शामिल करने चाहिए।

प्रश्न 14 : ईडब्ल्यूजी क्या होता है और एनसीसीपी–इंडिया इसमें किस प्रकार शामिल है?

उत्तर : ईडब्ल्यूजी इलेक्ट्रॉनी कार्यकारी दल होता है, जिसकी स्थापना समिति द्वारा सत्रों के बीच व्यक्तिगत रूप से इकट्ठे हुए बिना काम करते रहने के लिए कोडेक्स मानकों पर वैश्विक सहमति और ज्यादा स्वीकार्यता विकसित करने के लिए की जाती है। इसमें कोडेक्स के सदस्यों की सहभागिता तथा विकासशील देशों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है।

एनसीसीपी संबंधित ईब्ल्यूजी के संबंध में अन्य शैडो समितियों के सदस्यों के साथ समन्वय करती है और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को इसमें भाग लेने के लिए नामित किया जाता है।